झारखण्ड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, रांची–834001

ऑनलाइन (Online) आवेदन करने की अंतिम तिथि– 14.10.2015	**विज्ञापन**	विज्ञापन संख्या – 05/2015

(उपनिदेशक अभियोजन प्रतियोगिता परीक्षा)

गृह विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक– 4422 दिनांक–03.08.2015 द्वारा अधियाचित उपनिदेशक, अभियोजन के निम्न रिक्त पदों पर अर्हत्ताधारी भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन (Online) विहित–प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं :–

1. रिक्त पदों का विवरण:–

SL. No.	Name of Post	Total vacancies	UNR	ST	SC	BC-I	BC-II	Women reserved seat	Other: Sports/ Ex-Serviceman	Handicapped reserved		
										Blind	Dumb/Deaf	Locomotive
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	उपनिदेशक अभियोजन	03	02	01	00	00	00	-	-	-	-	-

नोट:– पदों की संख्या घट–बढ़ सकती है।

2. वेतनमान:–

उपनिदेशक अभियोजन	15600 – 39100 ग्रेड पे – 7600

3. उप निदेशक अभियोजन पद हेतु अहर्त्ताएँ :–

i) विधि स्नातक हो।

ii) अधिवक्ता के रूप में व्यवसायरत, विशेष रूप से अभियोजन क्षेत्र में विधि व्यवसायी (Prosecution Lawyer) के रूप में लगातार कार्य करने का कम से कम 10 वर्षों का अनुभव प्राप्त हो।

iii) अधिवक्ता के रूप में व्यवसायरत विशेष रूप से अभियोजन क्षेत्र में विधि व्यवसायी (Prosecution Lawyer) के रूप में लगातार कार्य करने का कम से कम **10 वर्ष** का अनुभव प्राप्त करने के संबंध में उनके संबंधित जिला/अनुमंडल बार एसोसिएशन अथवा संबंधित लोक अभियोजक के प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित जिला दण्डाधिकारी अथवा संबंधित उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित महाधिवक्ता द्वारा निर्गत/प्रदत्त अनुभव संबंधित प्रमाण पत्र मान्य होगा। अभियोजन सेवा में कार्यरत अभियोजकों को राज्य स्तरीय नियंत्री विभाग/निदेशालय द्वारा निर्गत/प्रदत्त अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र मान्य होगा। अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र का विवरण ऑनलाईन आवेदन में प्रविष्ट करना होगा तथा साक्षात्कार के समय उक्त प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

iv) उक्त पद हेतु न्यूनतम उम्र सीमा 40 वर्ष एवं अधिकतम उम्र सीमा 55 वर्ष होगी। (सभी कोटि के लिए)

4. <u>उम्र गणना की तिथि</u> :– उपनिदेशक अभियोजन प्रतियोगिता परीक्षा हेतु उम्मीदवारों के उम्र की गणना का **cut off date 01.08.2015** होगा।

5. आरक्षण :–

(क) ऑनलाइन (Online) आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को अनारक्षित कोटि में शामिल किया जायेगा।

(ख) झारखण्ड सरकार द्वारा लागू अद्यतन आरक्षण संबंधी नियम प्रभावी होंगे। अन्य राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के उम्मीदवारों को चाहे वे किसी भी जाति के हों, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तथा वे अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार माने जायेंगे। अतएव ऐसे उम्मीदवार ऑनलाईन आवेदन पत्र में अपनी कोटि अनारक्षित (UNR) प्रविष्ट करेंगे।

(ग) आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी को झारखण्ड राज्य के सक्षम स्तर के पदाधिकारी अर्थात् **उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी** स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। **झारखण्ड राज्य के बाहर के जाति प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी के लिए आरक्षण के लाभ हेतु किया गया दावा अनुमान्य नहीं होगा।** झारखण्ड राज्य के उम्मीदवार, जो **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,** के हैं, को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए झारखण्ड राज्यान्तर्गत **उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी** स्तर से विभागीय पत्रांक–5682 दिनांक 22.10.2008 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र–I में निर्गत प्राधिकार, प्रमाण पत्र संख्या, जारी करने की तिथि का विवरण ऑनलाइन (Online) आवेदन पत्र में देना अनिवार्य होगा **अन्यथा उनकी उम्मीदवारी अनारक्षित श्रेणी के लिए मान्य होगी**। निर्धारित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

(घ) आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक आरक्षण हेतु विहित प्रपत्र–I में निर्गत जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति अन्तर्वीक्षा के समय सत्यापन प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा आरक्षण का दावा रद्द कर दिया जाएगा।

(ङ) साक्षात्कार के समय ऑनलाईन आवेदन में दिए गए प्रविष्टि (Entry) के अनुरूप सभी प्रमाणपत्रों की संबंधित मूल पति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

6. **कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक–12165 दिनांक–31.10.2011 के आलोक में निम्नांकित प्रावधान लागू होंगे:–**

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या–36012/22/93–ईस्ट (एस0सी0टी0), दिनांक–08.09.1993 तथा 36011/1/98 ईस्ट (रेंज) दिनांक–01.07.1998 से राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि आरक्षित वर्ग के वैसे अभ्यर्थी जिनका चयन उन मानकों के आधार पर होता है, जो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए विहित हो उन्हें आरक्षित वर्ग के रिक्तियों के विरूद्ध सामंजित नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में जब आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की तुलना में ऊपरी उम्र सीमा, अनुभव, शैक्षणिक योग्यता, लिखित परीक्षा में बैठने के अवसरों की संख्या में छूट/रियायत प्रदान कर की जाती है एवं विस्तारित विचारण क्षेत्र के आधार पर होता है तो वे संबंधित आरक्षित वर्ग के रिक्तियों के विरूद्ध सामंजित होंगे। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित रिक्तियों के लिए अनुपलब्ध समझे जायेंगे।

7. **नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया :–**

(i) आयोग उपनिदेशक, अभियोजन के पद पर नियुक्ति हेतु प्रतिवेदित रिक्तियों के प्रत्येक पद के विरूद्ध तीन अभ्यर्थियों के एक पैनल की अनुशंसा राज्य सरकार को करेगी।

(ii) आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों के पैनल से पदों पर नियुक्ति माननोय उच्च न्यायालय, झारखण्ड के मुख्य न्यायाधीश की सहमति(Concurrance) से की जायेगी।

(iii) आयोग नियुक्ति हेतु चयन की प्रक्रिया ''**Jharkhand Public Service Commission, Rules of Procudure 2002 के Chapter-IV में Rectuitment by Selection**'' के अधीन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

8. **झारखण्ड लोक सेवा आयोग अन्तर्वीक्षा के लिए निम्न प्रक्रिया अपनायेगा :–**

(a) The candidates shall be selected for interview on the basis of their career marks to be calculated on the basis of percentage of marks obtained in Matriculation, Intermediate and LLB Examinaton. The percentage of marks shall be added together and divided by the number of examinations and a Provissionl merit list will Prepared accordingly for the purpose of calling the candidates for interview in the ratio of 1:5 for each category of vacancy.

(b) Marks to be awarded in the interview/viva voce test shall be in the ratio of 100 (hundred) marks for academic achievement and 100 (hundred) marks for interview/viva voce test.

(C) Mode of distribution of marks of academic achievement shall be decided by a Committee of Members including the Chairman, Members of the Committee shall be nominated by the Chairman.Decision of the Committee shall be deemed to be decision of the Commission.

(d) No extra Weightage shall be provided for higher education except required minimum educational qualification fixed as per Advertisement.

9. न्यूनतम अर्हतांक :–

लिखित/मौखिक परीक्षा में राज्य सरकार के संकल्प ज्ञापांक– 13026 दिनांक– 27.11.2012 द्वारा निर्धारित निम्नलिखित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा –:

अनारक्षित	40 प्रतिशत
अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग	32 प्रतिशत

10. परीक्षा शुल्कः–

(i) सामान्य वर्ग के लिए चालान द्वारा State Bank of India के किसी भी शाखा के माध्यम से या Online Payment Gatway के द्वारा **400 रू0 परीक्षा शुल्क + 50 रू0 बैंक चार्ज, कुल–450 रू0** एवं झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के **लिए 100 रू0 परीक्षा शुल्क +50 रू0 बैंक चार्ज, कुल–150 रू0** देय होगा।

(ii) Offline Payment के लिए Genrated चालान Online Application System में स्वतः उपलब्ध रहेंगे तथा भुगतान निम्न खाते में किया जा सकता है।

बैंक – **एस0बी0आई0 लालपुर शाखा, राँची**
खाता संख्या – **35231063548**
शाखा कोड – **12623**
IFSC CODE – **SBIN0012623**

(iii) Online Application पत्र किसी भी परिस्थिति में अस्वीकृत होने पर शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(iv) Online Payment Gatway के लिए Credit Card/ Debit Card/Net Banking/Cash Card/ Wallet के माध्यम से भी भुगतान किया जा सकता है।

(v) विकलांग अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में छूट है।

(vi) परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में किसी तरह की जानकारी के लिए Payment Helpline No.–**07042294212** पर संपर्क किया जा सकता है।

11. (i) **कदाचार (Misconduct) एवं इसके दुष्परिणामः–**

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false and suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise temper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of :

(a) Obtaining support of his/her candidature by any means, or
(b) Impersonating, or
(c) Procuring impersonation by any person, or
(d) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
(e) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
(f) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or
(g) Using unfair means during the test, or
(h) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch, in the script (s), or
(i) Misbehaving in any other manner in the examination hall, or
(j) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or
(k) Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.
(l) Attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:
    (i) to be disqualified from selection, for which he/she is a candidate, and/or
    (ii) to be debarred either permanently or for a specified period:-
    (iii) Canvassing in any form will disqualify a candidate

(ii) **कदाचार के लिए कार्यवाही** :–

ऊपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोषी पाये गऐ अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी भी stage में समाप्त की जा सकेगी। जिसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा।

(iii) पूर्व के कदाचार का प्रभावः—

वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर देने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

12. आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देश

(क) Jharkhand Public Service Commission के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर Online Application System के माध्यम से आवेदन स्वीकार किया जाएगा।

(ख) ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जायेगी। अभ्यर्थी Online Application भली–भाँति विज्ञापन में निहित प्रावधान एवं निर्देश के अनुसार ही भरे। एक बार Online Application में की गयी प्रविष्टि (Entry) के बाद उसमें किसी भी तरह के परिवर्त्तन का अनुरोध आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् स्वीकार्य नहीं होगा।

(ग) **ऑनलाइन (Online) आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व आवेदन कैसे करें, "How to apply" अवश्य पढ़ें। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए आयोग के Help Line No. – 0651/2213009 पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कार्य दिवस में सुबह–10.00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।**

(घ) **ऑनलाइन आवेदन भरने में कोई असुविधा होने पर आयोग के निम्नलिखित Technical Help Line No. पर कार्य दिवस में सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है :—**

1. **07042294208**
2. **07042294209**
3. **07042294210**

(ङ.) आवेदक सरकारी सेवा में होने की स्थिति में नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की विवरणी Online Application में प्रविष्ट करेंगे।

(च) Online Application System के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन (पासपोर्ट साईज) फोटोग्राफ, हस्ताक्षर एवं बांए अंगूठे का निशान स्कैन कर संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे। **निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ, हस्ताक्षर एवं बांए अंगूठे का निशान नहीं रहने पर आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।**

(छ) आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही आवेदन पत्र भरा होना चाहिए।

(ज) आवेदक अपने नाम, पिता के नाम की वर्त्तनी (Spelling) वही लिखेंगे, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट अंक पत्र में अंकित है।

(झ) जन्म तिथि– आवेदक के मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र में, जो उनकी जन्म तिथि अंकित यथा तिथि, महीना और वर्ष है वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर लिखे।

(ञ) Online आवेदन भरते समय आवेदक की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि से संबंधित विवरणी :—

उम्र संबंधी प्रवेशिका (मैट्रिक) प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट, एल0एल0बी0, निबंधन प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (जहां लागू हो), ऑनलाइन (Online) आवेदन पत्र में निर्धारित कंडिकाओं में अवश्य प्रविष्टि करेंगे एवं **सभी संदर्भित प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति को स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न करेंगे।**

अन्तर्वीक्षा के समय जाँच के क्रम में उपरोक्त संबंधित प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी तथा इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

(ठ) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

(ड) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा

13. अंतिम तिथि–

(क) ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक–**30.09.2015** सुबह **10:00 बजे** से आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर भरा जा सकेगा।

(ख) सभी वांछित सूचनाओं सहित आवेदन पत्र Online Application System के माध्यम से **दिनांक 14.10.2015 रात्रि 12.00 बजे** तक ही स्वीकार किये जायेंगे।

(ग) अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

सचिव
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, रांची।